

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5756

दिनांक 03.04.2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को उत्तर के लिए
एमसीडी/एनडीएमसी में आरक्षित रिक्तियों की अधिसूचना

†5756. डॉ. उदित राज:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ओ एम दिनांक 25.08.2003 पर आधारित सभी आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने की केन्द्रीय सूचना आयोग के दिनांक 15.7.2016 के निर्णय को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाईयों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त आदेश के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने एनडीएमसी और एमसीडी द्वारा डीओपीटी ओएम संख्या 36038/1(i)2013-स्थापना (आरईएस) दिनांक 21.6.2013, 42012/1/81-स्थापना (एससीटी) दिनांक 26.3.1981, 36014/1/2001-स्थापना (आरईएस) दिनांक 25.8.2003 और 6022/4/93 स्थापना (एससीटी) दिनांक 1.6.1993 के कार्यान्वन हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (ग): केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिनांक 15.07.2016 के निर्णय में, केवल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) प्रतिवादी है और उन्होंने सूचित किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपने दिनांक 15.07.2016 के आदेश के तहत दिए गए निर्देश के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की सूचना आवेदक को भेज दी गई थी। एनडीएमसी ने दिनांक 11.12.2015 और 11.12.2016 को परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी संस्थापनाओं और विभागाध्यक्ष को इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एससी/एसटी एवं शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के अखिल भारतीय एसोसिएशन सहित एससी/एसटी के स्वैच्छिक एसोसिएशन को अधिसूचित रिक्तियों के ब्योरे भेजने का निर्देश दिया गया है।

(घ) और (ङ): उत्तरी दिल्ली नगर निगम (नॉर्थ डीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईस्ट डीएमसी) दोनों ने कहा है कि तीन भागों में बांटे जाने के पश्चात दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (साउथ डीएमसी) सभी तीन डीएमसी में रिक्त पदों की सीधी भर्ती करने के लिए नोडल निगम है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (साउथ डीएमसी) ने सूचित किया है कि उनका निगम एमसीडी के तीन भागों में बंटने के पश्चात दिनांक 02.05.2012 को अस्तित्व में आया था। इसके अधीन विभिन्न विभाग कार्य कर रहे हैं। इनको पहले से कोई आरक्षण रोस्टर प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए वे विभिन्न पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार कर रहे हैं। तथापि, डीओपीटी के संदर्भाधीन कार्यालय जापनों का अनुसरण किया जाता है। दक्षिणी डीएमसी ने सूचित किया है कि उन्होंने नियमित नियुक्ति में रिक्तियों का बैकलॉग डीएसएसएसबी और यूपीएससी को भेज दिया है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि वे सीधी भर्ती से संबंधित पदों के लिए समय-समय पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)/संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को मांगपत्र भेजते रहते हैं। एनडीएससी में कोई विशेष भर्ती अभियान नहीं चलाया गया था। एससी/एसटी के स्वैच्छिक संगठनों को आरक्षित रिक्तियों की सूचना देने के डीओपीटी के आदेशों के संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी डीएसएसएसबी/यूपीएससी को पदों को भरने से संबंधित कोई मांग पत्र भेजा जाएगा, तो उसकी एक प्रति आरक्षित रिक्तियों के व्यापक प्रचार हेतु एससी/एसटी और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन को भेजी जाएगी।